

न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क्र0-813 / 2006
संस्थित दिनांक-12.12.2006
F.N.-234503000062006

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

1. प्रकाश पिता रामसिंह पिछोड़े, उम्र-46 वर्ष,
निवासी वार्ड नंबर 30 सरेखा बालाघाट
जिला बालाघाट (म0प्र0)
2. शिवकुमार पिता हेमराज कुमरे, उम्र-50 वर्ष,
निवासी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपीगण

!! निर्णय !!

(आज दिनांक 16/05/2018 को घोषित किया गया)

01. उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 06.04.2006 की रात्रि 2:00 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत शासन के कब्जे की मैगनीज खदान ग्राम जगनटोला से 17 टन मैगनीज कीमती 16,000/- रुपये शासन की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से ट्रक क्रमांक सी.जी.04ई.0972 में परिवहन कर चोरी कारित करने, उक्त दिनांक समय व स्थान पर म0प्र0 शासन की भौमिकी तथा खनिकरण विभाग द्वारा जारी अभिवहन पास क्रमांक 097593/77 में छलपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक आशय से उसके तारीख में कांट-छांट कर शासन की मैगनीज को अपने हित में संपरिवर्तित कर छल करने, इस प्रकार धारा-379, 420/34 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 06.04.2006 को थाना रूपझर को इस आशय की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई कि मैगनीज का अवैध परिवहन किया जा रहा है, तब उक्त सूचना को रोजनामचासान्हा क्रमांक 219 दिनांक 06.04.2006 में दर्ज कर सूचना की तस्दीक करने थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ मौके पर गये। घटनास्थल जगनटोला में ट्रक क्रमांक सी.जी.04ई.0972 को रोक कर चेक किया गया। ट्रक

में उस समय बैठे चालक प्रकाश से पूछताछ की गई, तब उसने ट्रक में मैगनीज होना बताया, जिसके संबंध में दस्तावेज पूछने पर आरोपी ने भौमिकी तथा खनिज विभाग का पुस्तक क्रमांक ए.097593 का पास क्रमांक 77 दिखाया, जिसमें वाहन चालक के रूप में श्याम का नाम लिखा हुआ था, तब मौके पर वाहन मय मैगनीज जप्त किया गया। शिव कुमार के नाम से कोई मैगनीज खदान भी नहीं होना पाया गया। अभिवहन पास मिरगपुर थाना तिरोड़ी का था, जो कि मैगनीज जगनटोला से पकड़ा गया। आरोपीगण द्वारा मैगनीज चोरी का अपराध करते पाये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध थाना रूपझर में अपराध क्रमांक 47/06 धारा-420/34, 379 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल से ही ट्रक क्रमांक सी.जी.04ई.0972 एवं उसमें भरे हुए 15-16 टन मैगनीज को जप्त किया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया गया, साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फसाया गया है। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं कि—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 06.04.2006 की रात्रि 2:00 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत शासन के कब्जे की मैगनीज खदान ग्राम जगनटोला से 17 टन मैगनीज कीमती 16,000/- रुपये शासन की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से ट्रक क्रमांक सी.जी. 04ई.0972 में परिवहन कर चोरी कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर म0प्र0 शासन की भौमिकी तथा खनिकरण विभाग द्वारा जारी अभिवहन पास क्रमांक 097593/77 में छलपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक आशय से उसके तारीख में कांट-छांट कर शासन की मैगनीज को अपने हित में संपरिवर्तित कर

छल कारित किया ?

:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01

06. मानिक पटले अ.सा.10 ने बताया है कि दिनांक 06.04.2006 को वह थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना भरवेली से अपराध क्रमांक 0/06 अंतर्गत धारा-420, 379/34 भा.द.वि. की बिना नंबर की कायमी असल नंबर पर कायम हेतु प्राप्त होने पर उसने थाना रूपझर में अपराध क्रमांक 47/06 अंतर्गत धारा 420, 379/34 भा.द.वि. प्र.पी.07 पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कायमी थाना भरवेली द्वारा प्रेषित किये गये देहाती नालसी अथवा किसी दस्तावेज के आधार पर की गई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उपरोक्त आधार का कोई देहाती नालसी अथवा पुलिस थाना भरवेली का कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। दस्तावेज न होने का वह कोई कारण नहीं बता सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 कायम किये जाते समय उसने कोई अभिवहन पास या बिल आदि नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने मात्र शून्य की कायमी को थाना रूपझर में नंबरी पर कायमी किया है, किन्तु कायम किये जाने के आधार के बारे में साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है।

07. महेश टांडेकर अ.सा.09 ने बताया है कि दिनांक 30.09.2006 को थाना रूपझर का अपराध क्रमांक 47/06 धारा 420, 379 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने साक्षी रमणीक देशमुख से डी.पी. राय मौजा मिरगपुर जिला बालाघाट की स्वीकृत मैगनीज माईन्स रकबा 5.68 एकड़ की अभिवहन पासबुक 57593/77 की मूल प्रति गवाह कमलकांत तथा नवलसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था। गवाह रमणीक देशमुख का कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने रमणीक का कथन लेखबद्ध नहीं किया था।

08. रमणीक अ.सा.11 ने बताया है कि वह वर्ष 1991 से 2011 तक

डी.पी. राय की मैगनीज माईन्स मिरगपुर में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ था। उक्त दौरान खदान से जाने वाले मैगनीज हेतु वह अभिवहन पास जारी करता था। उसे रूपझर पुलिस ने पूछताछ के लिये बुलाया, तब उसे जानकारी हुई कि किसी अन्य के पास पर दूसरे व्यक्ति ने मैगनीज का परिवहन किया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि ओरिएण्ट फेरो एलाईन्स रायगढ़ के नाम पर उसने प्र.पी.09 का पास जारी किया था।

09. रमणीक अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभिवहन पास प्र.पी.09 दिनांक 05.04.2006 को जारी किया गया था। अभिवहन पास में वाहन मालिक का नाम राकेश मिश्रा है। वह कहाँ का निवासी है वह नहीं बता सकता। उक्त अभिवहन पास प्र.पी.09 में दो वाहन का क्रमांक कैसे दर्ज है वह नहीं बता सकता। यदि उसकी कंपनी द्वारा जारी अभिवहन पास के आधार पर कोई वाहन मैगनीज लेकर रवाना होता है और रास्ते में बिगड़ जाता है तो दूसरे वाहन में माल ले जाने अथवा अन्य कोई व्यवस्था करने का दायित्व ट्रांसपोर्टर का होता है। यह भी स्वीकार किया है कि उपरोक्त दशा के अनुसार वाहन बिगड़ जाये तो दूसरे वाहन में माल ले जाने के लिये पुनः अभिवहन पास में तब्दील करवाने उनके पास आने की आवश्यकता नहीं होती। यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.09 में उल्लेखित चालक को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। प्र.पी.09 के अभिवहन पास की मूल प्रति उनके कंपनी के पास रहती है, द्वितीय प्रति दिया जाता है। उसे याद नहीं है कि जब उसने थाने में अभिवहन पास देखा, तब उसमें दो वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज था या नहीं। वह प्रकाश पिछोड़े नामक व्यक्ति को नहीं जानता है। पुलिस को प्र.पी.08 का बयान देते समय भी प्रकाश पिछोड़े के बारे में नहीं बताया था। उसकी जानकारी के अनुसार प्र.पी.09 के अभिवहन पास द्वारा भेजा गया माल ओरिएण्ट फेरो एलाईन्स रायगढ़ को प्राप्त हो गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि संबंधित फर्म के पास माल पहुँचने के उपरांत माल के साथ अभिवहन पास दिया जाता है या नहीं। संबंधित फर्म के पास अभिवहन पास रखा जाना आवश्यक है या नहीं उसे जानकारी नहीं है। स्वतः बताया है कि उक्त संबंध में फर्म के लोग जानकारी दे सकते हैं। फर्म के पास रायगढ़ में

माल पहुँचने के उपरांत प्र.पी.09 का अभिवहन पास रूपझर पुलिस के पास कैसे आया वह नहीं जानता। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये कथन से भी अभियोजन का मामला समर्थित नहीं है।

10. दीपक राउत अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और उससे कोई पूछताछ भी नहीं की थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि दिनांक 05.04.2006 को आरोपी प्रकाश के साथ गंगाराम, राजेश, मदन, विकास को लेकर जगनटोला गये थे। इससे भी इंकार किया है कि जगनटोला से 15-16 टन मैगनीज ट्रक में लोड किये थे। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी शिवकुमार ने ड्रायवर प्रकाश को टी.पी. भी दिया था। इससे भी इंकार किया है कि थाना भरवेली के टी.आई. ने ट्रक रोका था और दस्तावेजों को चेक किया था। इससे भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी प्रकाश से ट्रक क्रमांक सी.जी.04.टी.0972 एवं उसमें भरा हुआ 15-16 टन मैगनीज, एक अभिवहन पास, एक बिल्टी, बिल, ड्रायविंग लायसेंस, इन्श्योरेंस, परमिट जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि भरवेली में वे लोग जहाँ काम करते हैं पुलिस कई बार आकर कई प्रकरणों के कागजों पर हस्ताक्षर करा लेती है। यह भी स्वीकार किया है कि पूछने पर पुलिसवाले हस्ताक्षर कर दो कुछ नहीं होता कह देते हैं, जिसके कारण उन्होंने जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिया था। जप्ती पत्रक की इबारत उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे और ना ही उसने पढ़कर देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

11. विकास अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और उससे कोई पूछताछ भी नहीं की थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि दिनांक 05.04.2006 को आरोपी प्रकाश के साथ गंगाराम, राजेश, मदन, विकास को लेकर जगनटोला गये थे। इससे भी इंकार किया है कि जगनटोला से

15-16 टन मैगनीज ट्रक में लोड किये थे। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी शिवकुमार ने ड्रायवर प्रकाश को टी.पी. भी दिया था। इससे भी इंकार किया है कि थाना भरवेली के टी.आई. ने ट्रक रोका था और दस्तावेजों को चेक किया था। इससे भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी प्रकाश से ट्रक क्रमांक सी.जी.04.टी.0972 एवं उसमें भरा हुआ 15-16 टन मैगनीज, एक अभिवहन पास, एक बिल्टी, बिल, ड्रायविंग लायसेंस, इन्श्योरेंस, परमिट जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि भरवेली में वे लोग जहाँ काम करते हैं पुलिस कई बार आकर कई प्रकरणों के कागजों पर हस्ताक्षर करा लेती है। यह भी स्वीकार किया है कि पूछने पर पुलिसवाले हस्ताक्षर कर दो कुछ नहीं होता कह देते हैं, जिसके कारण उन्होंने जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिया था। जप्ती पत्रक की इबारत उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे और ना ही उसने पढ़कर देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

12. नवलसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। उसके सामने पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। वह रूपझर थाने के सामने उकवा जाने के लिये बैठा था, तभी पुलिस वाले थाने में बुलाकर उससे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.02 में हस्ताक्षर करा लिये थे। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उसके समक्ष पुलिस ने डी.पी. राय मिरगपुर नामक कंपनी के रमणीक देशमुख से अभिवहन पास जप्त किया था तथा इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने पुलिस वालों के कहने पर प्र.पी.02 पर हस्ताक्षर कर दिया था तथा यह भी बताया था कि बस के इंतजार में थाना के सामने जाता है तो पुलिस वाले अक्सर उससे कई कागजों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

13. मदन कठौते अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी प्रकाश एवं शिवकुमार को नहीं जानता है। घटना लगभग 5-6 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय एक ट्रक भरवेली मार्इन्स में साईड में सड़क पर खड़ा था, वहीं ट्रक

चालक ने उसे लेबर मिलेंगे क्या पूछा था। उसी समय भरवेली थाना के पुलिस वाले आ गये और ट्रक को लेकर थाना चले गये। पुलिस ने उससे पूछा था कि ट्रक में माल कहाँ से भरकर ला रहे हैं, तब उसने कहा था कि ट्रक में माल नहीं भरा है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी ट्रक में कोई माल नहीं होना बताया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि वे अन्य मजदूरों के साथ ट्रक में मैगनीज लोड किये थे। इससे भी इंकार किया है कि शिवकुमार ने प्रकाश को टी.पी. दिया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का कथन भी देने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

14. बागोबाई मरकाम अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती है। वह मजदूरी करने उकवा जाती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि 5-6 वर्ष पूर्व जगनटोला में अमराई के पास मैगनीज के तीन-चार ढेर में से एक ढेर मैगनीज आरोपी प्रकाश ने ट्रक में भरवाया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी प्रकाश और शिवकुमार मिलकर मैगनीज की चोरी किये थे। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

15. सुमित्राबाई अ.सा.06 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती है। वह मजदूरी करने उकवा जाती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि 5-6 वर्ष पूर्व जगनटोला में अमराई के पास मैगनीज के तीन-चार ढेर में से एक ढेर मैगनीज आरोपी प्रकाश ने ट्रक में भरवाया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी प्रकाश और शिवकुमार मिलकर मैगनीज की चोरी किये थे। इस साक्षी ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

16. मेहतर अ.सा.07 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं

की थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि अशोक सरपंच जो मैगनीज निकलवाकर आम के पेड़ के पास रखवाया था, वह उसकी रखवाली करता था। यह भी स्वीकार किया है कि अशोक सरपंच के मैगनीज की खरीदी बिक्री शिवकुमार करता था, किन्तु इससे इंकार किया है कि 6-7 वर्ष पूर्व रात 11-30 बजे आरोपी प्रकाश अपना ट्रक लेकर जगनटोला आया था। इससे भी इंकार किया है कि जिन ढेरों की वह चौकीदारी करता था, उसमें से एक ढेर को आरोपी ने लोड कर लिया था। इससे भी इंकार किया है कि घटना के दूसरे दिन उसे मैगनीज ट्रक में भरकर ले जाने की जानकारी हुई थी। इससे भी इंकार किया है कि प्रकाश और शिवकुमार ने मिलकर मैगनीज की चोरी की थी। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.05 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

17. इस प्रकार जप्ती के स्वतंत्र साक्षी दीपक राउत अ.सा.01 तथा विकास अ.सा.02 ने आरोपीगण से जप्ती के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने आरोपी प्रकाश से ट्रक क्रमांक सी.जी.04.टी.0972 में 15-16 टन मैगनीज भरा हुआ तथा अभिवहन पास, बिल, बिल्टी, परमिट जप्त किया था। जप्ती के दूसरे साक्षी नवलसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि पुलिस ने रमणीक देशमुख से अभिवहन पास जप्त किया था। घटना के अन्य स्वतंत्र साक्षी मदन कठौते भी पूर्णतः पक्षद्रोही हैं तथा इससे इंकार किया है कि उन्होंने आरोपी प्रकाश के ट्रक में मैगनीज लोड किये थे। बागोबाई अ.सा.05 और सुमित्राबाई अ.सा.06 ने भी इससे इंकार किया है कि आरोपी प्रकाश के कहने पर उन्होंने जगनटोला में उसके ट्रक में मैगनीज लोड किये थे। घटना का महत्वपूर्ण साक्षी अ.सा.07 भी है, जो घटनास्थल का चौकीदार था, किन्तु स्वयं मेहतर अ.सा.07 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है

कि जिन ढेरों की वह चौकीदारी करता था, उसमें से एक ढेर मैगनीज को आरोपी ने अपने ट्रक में लोड किया था। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी ने भी घटनास्थल से मैगनीज चोरी के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थिति में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है एवं जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो, वहाँ संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007(3) म.प्र.लॉ.ज.372 म.प्र. अवलोकनीय है।

18. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 06.04.2006 की रात्रि 2:00 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत शासन के कब्जे की मैगनीज खदान ग्राम जगनटोला से 17 टन मैगनीज कीमती 16,000/- रुपये शासन की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से ट्रक क्रमांक सी.जी.04ई.0972 में परिवहन कर चोरी कारित किया तथा उक्त दिनांक समय व स्थान पर म0प्र0 शासन की भौमिकी तथा खनिकरण विभाग द्वारा जारी अभिवहन पास क्रमांक 097593/77 में छलपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक आशय से उसके तारीख में कांट-छांट कर शासन की मैगनीज को अपने हित में संपरिवर्तित कर छल कारित किया। फलतः आरोपीगण को धारा-379, 420/34 भा.दं.वि. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

19. आरोपीगण के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

20. आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण दिनांक 07.04.2006 से दिनांक 24.04.2006 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04ई.0972 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार राकेश मिश्रा पिता स्व0 जी.पी0 मिश्रा, निवासी सर्किट हाउस रोड बालाघाट जिला बालाघाट की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा अपील

अवधि पश्चात अपील न होने पर सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जावे एवं जप्तशुदा मैगनीज को राजसात किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही / —

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही / —

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)